न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 146 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 225

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. आशा कुमारी पुत्री भगतू साकिन गढ़ तहसील देहरा जिला कांगड़ा

–अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रार्थी
2. श्री मनोहरलाल अरोड़ा, अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 05.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम पनपालिया में खसरा सं. 51 में कुल 60.19 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त रकबा चक 5 जेएम के पं.न. 204 / 51 कि.नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 में 19.00 बीघा रकबा सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित 4.807है. भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

   इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। साथ ही याचिका सं. 11153 / 2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़ नाला, तालाब नदी के कैचमेन्ट ऐरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना हैं। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132 / 11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज–6 / 2001 पार्ट / 5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज–7 / 2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

   उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) व 16(6) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 5 जेएम के प.नं. 204 / 51 मु.नं. 28 के कि.नं. 1ता3, 7ता14, 17ता24 कुल 4.807है. भूमि आदेश क्रमांक 3045 दिनांक 22.06.1973 को अप्रार्थी आशाकुमारी पुत्री भगतू तहसील देहरा जिला कांगड़ा को आवंटित की गई थी जो वर्तमान में अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटन निरस्त कर भूमि गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:49 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए

आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया।

अप्रार्थी अधिवक्ता बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णिय भूमि अप्रार्थी को पोंग बांध विस्थापित के रूप में राजस्थान उपनिवेशन(पोंग बंध विस्थापितों और इंदिरा गांधी नहर कॉलोनी में उनके स्थानान्तरित लोगों को सरकारी भूमि का आवंटन और बिक्री) नियम 1972 के तहत आवंटित की गयी थी, जो वर्तमान में अप्राथी की खातेदारी हो चुकी हैं। आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा भी पारित निर्णयों में पोंग बांध विस्थापितों को भूमि का आवंटन सही ठहराया गया हैं। इसलिए रेफरेंस प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

4. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी आदि के अनुसार भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः अप्रार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:49 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़